# न्यायालय सहायक कलक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी– श्रीमती पार्थवी, आर०ए०एस०

प्रकरण संख्या : 82A / 16 GCMS id : 2016 / 00194

1. आनन्दीलाल पुत्र गोविन्दा
2. गिरधारीलाल पुत्र गोविन्दा
3. रामजानकी पुत्री गोविन्दा
4. पार्वती पत्नी स्व. गोविन्दा

जाति माली, निवासीगण ताथेड, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

– (वादीगण)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

– (प्रतिवादी)

**वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188**
**बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा**

उपस्थिति : श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक वादीगण

## निर्णय

**दिनांक : 19.12.2022**

1. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 91, 188 के अन्तर्गत वादी की ओर से एक वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया है।
2. वादी द्वारा अपना वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि :–
   - ग्राम ताथेड, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 117, 123, 124, 125, 126, 335, 339, 340, 341, 787, 788, 849, 850, 116/963 कुल किता 14 रकबा 13.22 हैक्टर आराजी वादीगण के खाते दर्ज है।
   - उक्त आराजी वादीगण के पूर्वज देव्या, गोविन्दा पिसरान नारायण के नाम दर्ज चली आ रही थी, जिनके देहान्त के बाद सम्पूर्ण आराजी वादीगण के नाम दर्ज हो गई।
   - जमाबन्दी संवत 2024–2027 के अनुसार देव्या, गोविन्दा पिसरान नारायण माली, आराजी खसरा नम्बर 558/540 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा के भी खातेदार चले आ रहे है। वादीगण को खसरा नम्बर 560/2 व 560/3 रकबा 1 बीघा आराजी उपनिवेशन द्वारा भी आवंटित की गई थी। उपरोक्त आराजीयात पर वादीगण का कब्जा बदस्तूर चला आ रहा है।
   - राजस्व विभाग द्वारा गैरकानूनी तरीके से खसरा नम्बर 560/2, 560/3 व 560/4 को मिलाकर नया खसरा नम्बर 560 बना दिया और सिवायचक दर्ज कर दिया जो कि गैरकानूनी और त्रुटिपूर्ण है।
   - सेटलमेन्ट विभाग ने इसी खसरा नम्बर 560 को आधार मानकर नये नम्बर 850/952 रकबा 4.41 हैक्टर कायम करके सिवायचक दर्ज करके वादीगण के खाते से हटा दिया। इस कारण राज्य सरकार द्वारा इस आराजी पर खेती करते रहने के कारण 91 ले.रे.एक्ट के नोटिस भिजवाना प्रारम्भ कर दिया। उक्त आराजी पर वादीगण व उनके पूर्वजों का 30 वर्ष से अधिक समय से कब्जा चला आ रहा है।
   - राज्य सरकार का यह कानूनी दायित्व है कि वह इन खसरा नम्बरों के लोप किये जाने का कारण बताये।
   - वाद कारण खसरा नम्बर 560/2, 560/3 व 558/540 को एक करके नया खसरा 560 बनाये जाने तथा इसको सिवायचक दर्ज किये जाने और सेटलमेन्ट विभाग द्वारा बिना जांच किये इसके नये नम्बर 850/952 को भी सिवायचक दर्ज किये जाने व इस आराजी पर वादीगण को कब्जे के कारण 91 ले.रे.ए. का नोटिस दिये जाने के कारण उत्पन्न हुआ।
   - अतः प्रार्थना है कि गत खसरा नम्बर 560/2 व 560/3 तथा नये खसरा नम्बर 850/952 रकबा 0.41 हैक्टर का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे तथा सेटलमेन्ट विभाग को पावन्द किया जावे कि वादीगण को धारा 91 ले.रे.ए. के नोटिस नहीं देवें। पुराने नक्शे के अनुसार ही नये नक्शे में परिवर्तन किया जावे।

प्रतिवादी सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा, कोटा द्वारा जवाब दावा पेश कर निवेदन किया गया कि –

- भू प्रबन्ध से पूर्व ग्राम ताथेड के खसरा नम्बर 560/2 व 560/3 रकबा 1 बीघा आराजी देवा, गोविन्द पुत्र नारायण के नाम दर्ज रेकार्ड है।
- साबिक खसरा नम्बर 560 रकबा 1 बीघा जिसके 0.16 हैक्टर बनते है। बन्दोबस्त द्वारा नये खसरा नम्बर 850/952 रकबा 0.41 हैक्टर एवं 851 रकबा 0.28 हैक्टर कायम किये गये।
- खसरा नम्बर 851 रकबा 0.28 हैक्टर वादीगण आनन्दीलाल, गिरधारीलाल पुत्र गोविन्दा के गैरखातेदारी में दर्ज है जो साबिक रकबे के मुकाबले 0.12 हैक्टर बेशी दर्ज है।
- हाल खसरा नम्बर 850/952 रकबा 0.41 हैक्टर सिवायचक दर्ज है जिस पर वादीगण अतिक्रमी दर्ज है। साबिक खसरा नम्बर 558/540 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा का मिलान क्षेत्रफल रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है।
- वादीगण के पास प्रश्तगत खसरा नम्बर के पास वाले ब्लॉक में साबिक खसरा नम्बर 344, 556, 557, 558, 558/540 एवं 560 कुल 58 बीघा 5 बिस्वा भूमि थी, जिसके 9.32 हैक्टर बनते है।
- भू प्रबन्ध बाद वादीगण के खाते हाल खसरा नम्बर 787 रकबा 4.19 हैक्टर, खसरा नम्बर 788 रकबा 0.67 हैक्टर, खसरा नम्बर 849 रकबा 1.63 हैक्टर, खसरा नम्बर 850 रकबा 2.82 हैक्टर कुल 9.31 हैक्टर भूमि दर्ज हुई जो साबिक के मुकाबले पूर्ण है एवं वादीगण के कब्जे काश्त में है।
- इस प्रकार साबिक के मुकाबले हाल में दर्ज रकबे में कोई कमी नही हुई है। प्रश्नगत साबिक खसरा नम्बर 560 रकबा 1 बीघा (0.16 हैक्टर) के हाल खसरा नम्बर 851 रकबा 0.28 हैक्टर वादीगण के गैरखातेदारी दर्ज है।
- साबिक खसरा नम्बर 558/540 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 850 रकबा 2.82 हैक्टर दर्ज हुई है, पूर्ववत ही वादीगण के खाते दर्ज है। हाल खसरा नम्बर 850/952 रकबा 0.41 हैक्टर सिवायचक दर्ज है जिस पर वादीगण का अवैध कब्जा काश्त है। आसपास की भूमि में कोइ कमी बेशी नही हुई है।

4. दौराने वाद प्रतिवादी के अनुपस्थित रहने के कारण दिनांक 22.05.1998 को प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाये जाने से प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं किये गये। फलस्वरूप प्रकरण पर वादी अभिभाषक की एकपक्षीय बहस अन्तिम सुनी गई। वादी अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में वादपत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वर्तमान में ग्राम ताथेड, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 117, 123, 124, 125, 126, 335, 339, 340, 341, 787, 788, 849, 850, 116/963 कुल किता 14 वादीगण के खाते दर्ज है। उक्त आराजी वादीगण के पूर्वज देव्या, गोविन्दा पिसरान नारायण के नाम दर्ज चली आ रही थी, जिनके बाद वादीगण के नाम दर्ज हुई। जमाबन्दी संवत 2024–2027 के अनुसार देव्या, गोविन्दा पिसरान नारायण माली, आराजी खसरा नम्बर 558/540 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा के भी खातेदार चले आ रहे है। वादीगण को खसरा नम्बर 560/2 व 560/3 रकबा 1 बीघा आराजी उपनिवेशन द्वारा भी आवंटित की गई थी। राजस्व विभाग द्वारा खसरा नम्बर 560/2, 560/3 व 560/4 से नया खसरा नम्बर 560 बनाकर सिवायचक दर्ज कर दिया। सेटलमेन्ट विभाग ने इसी खसरा नम्बर 560 को आधार मानकर नये नम्बर 850/952 रकबा 4.41 हैक्टर कायम करके सिवायचक दर्ज करके वादीगण के खाते से हटा दिया। अतः निवेदन है कि प्रार्थना है कि गत खसरा नम्बर 560/2 व 560/3 तथा नये खसरा नम्बर 850/952 रकबा 0.41 हैक्टर का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे तथा पुराने नक्शे के अनुसार ही नये नक्शे में परिवर्तन किया जावे। वादी अभिभाषक द्वारा अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक निर्णय RRD 1993, Page 44-47 (OmPrakash v/s State) पेश किया गया।

5. हमने वादी अभिभाषक की एकपक्षीय बहस अन्तिम के कथनों पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का उनके गुणावगुण के आधार पर आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया जिससे हम इस निष्कर्ष पहुंचे है कि वादीगण द्वारा उपनिवेशन विभाग द्वारा आवंटित 1 बीघा आराजी को पुनः उनके खाते दर्ज कराये जाने तथा तदनुसार नक्शा परिवर्तित किये जाने सम्बन्धी अनुतोष चाहा गया है। प्रकरण में पेश की गई जमाबन्दी संवत 2016–2024 (प्रदर्श–20), संवत 2028–31 (प्रदर्श–7) व जमाबन्दी संवत 2032–2035 के अनुसार सेटलमेन्ट से पूर्व देवा, गोविन्दा पिसरान नारायण के खाते आराजी खसरा नम्बर 59, 147, 344, 556, 557, 558, 59/589, 558/540 व 560 दर्ज रिकार्ड थे। प्रस्तुत दावे में वादीगण की ओर से उपरोक्त में से केवल खसरा नम्बर 560 के सम्बन्ध में ही आपत्ति की गई है जिसमें यही आपत्ति तो यही की गई है कि खसरा नम्बर 560/2, 560/3 व 560/4 से नया खसरा नम्बर 560 बनाकर सिवायचक दर्ज कर दिया जबकि पत्रावली को देखने से हम पाते है कि प्रदर्श–2 के अनुसार वादीगण के पिता को खसरा नम्बर 560/2 व 560/3 रकबा 1 बीघा आवंटित होने के कथन की तो पुष्टि हो रही है किन्तु ऐसा कोई मिलान क्षेत्रफल पेश नही

किया गया जिससे स्पष्ट हो कि गत खसरा नम्बर 560 किन खसरा नम्बरान से बना है। मुताबिक जवाब दावा व मिलान क्षेत्रफल संवत 2038–2057 (प्रदर्श–27) गत खसरा नम्बर 560 से बने नये खसरा नम्बर 851 रकबा 0.28 हैक्टर वादीगण की गैरखातेदारी में दर्ज है। मुताबिक जवाब दावा भी यह स्पष्ट है कि वादी के खाते सेटलमेन्ट पूर्व जितनी आराजी दर्ज थी, उतनी ही सेटलमेन्ट के बाद भी दर्ज रही है। भू प्रबन्ध से पूर्व ग्राम ताथेड के खसरा नम्बर 560/2 व 560/3 रकबा 1 बीघा आराजी देवा, गोविन्द पुत्र नारायण के नाम दर्ज रेकार्ड है। साबिक खसरा नम्बर 560 रकबा 1 बीघा नये खसरा नम्बर 851 रकबा 0.28 हैक्टर कायम किये गये जो वादीगण के गैरखातेदारी में दर्ज है और साबिक रकबे के मुकाबले 0.12 हैक्टर बेशी दर्ज है। हाल खसरा नम्बर 850/952 रकबा 0.41 हैक्टर सिवायचक पर वादीगण अतिक्रमी है। वादीगण के खाते दर्ज भूमि साबिक के मुकाबले पूर्ण है एवं वादीगण के कब्जे काश्त में है। इस प्रकार साबिक के मुकाबले हाल में दर्ज रकबे में कोई कमी नहीं हुई है। हाल खसरा नम्बर 850/952 रकबा 0.41 हैक्टर सिवायचक दर्ज है जिस पर वादीगण का अवैध कब्जा काश्त है। आसपास की भूमि में भी कोई कमी बेशी नहीं हुई है। वादीगण की ओर से पेश सेटलमेन्ट पूर्व की जमाबन्दियों में खसरा नम्बर 560 का रकबा 1 बीघा ही दर्ज है जिसके मैट्रिक प्रणाली अनुसार 0.16 हैक्टर बनते है जबकि वर्तमान में वादीगण के खाते खसरा नम्बर 850 रकबा 2.82 हैक्टर व 851 रकबा 0.28 हैक्टर दर्ज है जो गत रकबे के मुकाबले अधिक दर्ज है। अतः प्रस्तुत प्रकरण में वादी द्वारा चाहे गये अनुतोष के सम्बन्ध में पर्याप्त साक्ष्य पेश करने में असफल रहने तथा विवादित आराजी के गत रकबे के मुकाबले आराजी कम नहीं होने के कारण वाद वादीगण अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया।

6. निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया और टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 19.12.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

Parthvi

(श्रीमती पार्थवी)
सहायक कलक्टर,
(मुख्यालय) कोटा।

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

**न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), कोटा**

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती पार्थवी R.A.S.

*बउनवान :–*

1. आनन्दीलाल पुत्र गोविन्दा
2. गिरधारीलाल पुत्र गोविन्दा
3. रामजानकी पुत्री गोविन्दा
4. पार्वती पत्नी स्व. गोविन्दा

जाति माली, निवासीगण ताथेड, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

– (वादीगण)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

– (प्रतिवादी)

दावा बाबत : 88, 89, 91, 188 RTA
मुकदमा नम्बर : 82A / 16
निर्णय दिनांक : 19-12-2022

GCMS id : 2016 / 00194

न्यायालय हाजा में वादी अभिभाषक श्री नरेन्द्र गुप्ता की उपस्थिति में (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्रीमती पार्थवी आर.ए.एस. के समक्ष बहस उपरान्त अन्तिम निपटारे के लिये आज तारीख 19–12–2022 को पेश होने पर, प्रस्तुत प्रकरण में वादी द्वारा चाहे गये अनुतोष के सम्बन्ध में पर्याप्त साक्ष्य पेश करने में असफल रहने तथा विवादित आराजी के गत रकबे के मुकाबले आराजी कम नहीं होने के कारण वाद वादीगण अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया।

– खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री आज तारीख 19 दिसम्बर, 2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

Parthvi
(श्रीमती पार्थवी)
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय) कोटा

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

वाद के खर्चे

| वादी | | रूपया | प्रतिवादी | | रूपया |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | वाद पत्र के लिये स्टाम्प | | 1. | शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प | |
| 2. | शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प | | 2. | अर्जी के लिये स्टाम्प | |
| 3. | अदर्शो के लिये स्टाम्प | | 3. | प्लीडर के लिये फीस | |
| 4. | ..... रूपये पर प्लीडर की फीस | | 4. | साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय | |
| 5. | साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय | | 5. | आदेशिका की तामिल | |
| 6. | कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल | | 6. | कमिश्नर की फीस | |
| | जोड | | | जोड | |